**अतिमहत्वपूर्ण/तत्काल/ई–मेल**

**कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश,**
17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

**पत्र संख्या** 768/c **/12–निर्माण/जि0यो0–दिनांक** 18-08-2017

**1–समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
**2–समस्त अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश।**

**विषय–जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु गठित आगणनों की जांच थर्ड पार्टी से कराये जाने के सम्बन्ध में।**

जिला योजना वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण, निर्मित सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण तथा गन्ना विकास परिषद द्वारा निर्मित सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाना एवं अनुरक्षण कार्य हेतु कार्ययोजना की संरचना एवं आगणनों का गठन करते हुये, वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत कराये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने की कार्यवाही गतिमान है। गठित आगणनों की विश्वसनीयता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से गन्ना एवं चीनी आयुक्त द्वारा आगणनों का थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराने के निर्देश दिये गये है।

अतएव निर्देशित किया जाता है कि गठित आगणनों का मूल्यांकन, लोक निर्माण विभाग के एक वृत्त के अन्तर्गत आने वाले गन्ना उत्पादक जनपदों हेतु तैयार किये गये आगणनों में से, कार्यक्रमवार/वर्गीकरण के अनुसार एक अधिकतम लागत का आगणन तथा एक न्यूनतम लागत के आगणन का थर्ड पार्टी मूल्यांकन, प्रतिष्ठित संस्थाओं से कराया जायेगा। प्रतिष्ठित संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है:–

1–मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी आफ टेक्नोलाजी, गोरखपुर, उ.प्र.।
2–मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।
3–प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
4–कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर।
5–इंस्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एवं टेक्नोलाजी, सीतापुर रोड, लखनऊ, उ.प्र.।
6–इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, कानपुर।
7–हरकोर्ट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय, कानपुर।
8–गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय, पंतनगर, उत्तराखण्ड।
9–इन्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी रूड़की, उत्तराखण्ड।

थर्ड पार्टी मूल्यांकन हेतु उपर्युक्त इंगित प्रतिष्ठित संस्थानों का चयन क्रमशः समीपता, न्यून शुल्क तथा मूल्यांकन हेतु न्यूनतम समयावधि के मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा।

2— थर्ड पार्टी मूल्यांकन हेतु नामित संस्थाओं को उनके द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुरूप भुगतान की कार्यवाही भी की जानी होगी, अतएव सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता आगणनों के मूल्यांकन हेतु उक्तानुसार नामित संस्थाओं से निर्धारित शुल्क की दरें प्राप्त कर, शुल्क का भुगतान परिषद बजट स्वीकृति की प्रत्याशा में सम्बन्धित गन्ना विकास परिषद में उपलब्ध धनराशि से किया जाय, जिसका समायोजन बाद में आगणन में प्राविधानित कन्टीजेन्सी से किया जायेगा।

3— उपर्युक्तानुसार अन्य सभी आगणनों का परीक्षण थर्ड पार्टी मूल्यांकन के आलोक में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

18.8.11

**(राकेश कुमार श्रीवास्तव)**
मुख्य अभियन्ता,
कृते गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।

पृष्ठांकन संख्या— 768/c /तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अपर गन्ना आयुक्त (विकास), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2— समस्त सहायक अभियन्ता, उत्तर प्रदेश को उपरोक्तानुसार तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
3— समस्त उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4— विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग शाखा, सम्बन्धित संस्था।

18.8.11

मुख्य अभियन्ता,
कृते गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।